प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

प्रायोजक : पंजाब नेशनल बैंक

हेड ऑफिस : प्रथमा भवन, राम गंगा विहार फेज–2, कांठ रोड, मुरादाबाद–244001, उ.प्र.

क्षेत्रीय कार्यालय: रामपुर
शाखा: बिलासपुर, रामपुर

सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सनुबन्धियों को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्मुख अकिंत तिथियों में बंधक सम्पतियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/ सहअनुबनिधयों/ बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अचल सम्पति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्ति नीलामी में सम्मलित होने हेतु आमन्त्रित हैं।

क्र. सं.	ऋणी/ सहअनुबंधियों का विवरण	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना की देय राशि/ कब्जे की तिथि व स्थिति	न्यूनतम आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय नीलामी का स्थान
1.	**ऋणी:** देव एंटरप्राइसेस, प्रोपराइटर विकास अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, निवासी सोमवार का बाजार, बाजारकलां, बिलासपुर, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर, **सहअनुबंधी:** 1. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री देवदत्त अग्रवाल, निवासी सोमवार का बाजार, बाजारकलां, बिलासपुर, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर, 2. श्री नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री देवदत्त अग्रवाल, निवासी सोमवार का बाजार, बाजारकलां, बिलासपुर, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर	एक रिहायशी मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 48.77 व0मी0 है स्थित है मौहल्ला सोमवार का बाजार, बाजारकलां, बिलासपुर, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर में स्थित है, जो कि उपनिबन्धक कार्यालय तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर में श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, श्री नरेश कुमार अग्रवाल एवं श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री देवदत्त अग्रवाल निवासीगण सोमवार का बाजार, बाजारकलां, बिलासपुर, तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर के नाम पंजीकृत है। **सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ: पूर्व:** रास्ता, **पश्चिम:** गीता देवी का मकान, **उत्तर:** ज्ञान सिंह का मकान, **दक्षिण:** रास्ता।	14.09.2023 रु. 7,17,178/– दिनाँक 14–09–2023 तक तत्पश्चात जमा धनराशि को समायोजित करते हुए यदि कोई है 16–11–2023 /सांकेतिक	रु. 7,35,000/– रु. 73,500/– दिनाँक 09.01.2025 नीलामी से पूर्व	दिनांक 09.01.2025 प्रातः 11.00 बजे से दोप. 01.00 बजे तक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा बिलासपुर, जिला रामपुर।

सम्पत्ति का पूरा विवरण/अन्य जानकारी संबंधित शाखा के पास से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की नियम एवं शर्ते:– 1. नीलामी के समय, बोलीदाता को ईएमडी के लिए ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जो प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना होगा। 2. बोलीदाता को अपना परिचय पत्र/आधार कार्ड/ पैन कार्ड साथ लाना होगा। 3. जैसे ही सफल बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है उसे उसी दिन नीलामी बोली का 25% (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) जमा करना होगा तथा शेष रकम 15 दिनों में अंदर जमा करना होगा अन्यथा पूर्व में जमा की गयी रकम को जब्त कर लिया जाएगा। 4. उपरोक्त सम्पत्तियों को **''जैसा है जहां है, जो भी है''** के आधार पर विक्रय किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाताओं का ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी सम्पति की नीलामी के बाद उसी दिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 6. हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्कों आदि और अन्य सभी विधायी व्यय सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. सम्पति पर सभी सरकारी कर और बकाये की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 8. अन्य जानकारी के लिए, किसी भी कार्य दिवस पर प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी और बोलीदाताओं को पांच हजार (5,000) के गुणांकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा। नीलामी समाप्त हो जाने पर सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 10. यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण धनराशि एवं देय ब्याज अन्य व्यय सहित भुगतान कर देता है तो उपरोक्त खाते में बंधक सम्पति की नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। 11. यह सूचना ऋणी, सहअनुबंधी एवं बंधककर्ताओं को 30 दिनों की सूचना के रूप में पढ़ा जाए।

दिनांक: 03.12.2024 स्थान : कांठ प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक